



कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./सम्पत्ति/जविप्रा/2024/12425

जबलपुर, दिनांक 11/03/2024

ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना

प्राधिकरण की योजना क्रमांक 11 प्रथम चरण जबलपुर के अंतर्गत निम्नतालिका में वर्णित रिक्त हाल को मासिक लायसेंस फीस पर आवेदन हेतु ऑनलाईन ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

योजना क्रमांक 11 प्रथम चरण वैजीटैबिल मार्केट (हाल)

क्र.	सम्पत्ति क्र.	सम्पत्ति का उपयोग	क्षेत्रफल (व.फु. में) (अनुमानित)	सम्पत्ति का न्यूनतम मासिक किराया	अमानत राशि
1	क्र.क-सी द्वितीय तल	व्यवसायिक	1500 व.फु.	15 प्र.व.फु.	10,000.00
2	क्र.क-सी द्वितीय तल	व्यवसायिक	1235 व.फु.	15 प्र.व.फु.	10,000.00
3	क्र.क-बी द्वितीय तल	व्यवसायिक	322 व.फु.	15 प्र.व.फु.	10,000.00

आवेदन की अवधि	12.03.2024 से 30.03.2024
बिड डालने की अंतिम तिथि	01.04.2024
ऑफर खुलने की तिथि	03.04.2024 (दोप. 03.00 बजे)

नोट :- 1. वक्त प्रदाय शुल्क 500/- रुपये प्रतिमाह पृथक से देय है।

2. मासिक लायसेंस फीस पर प्रचलित दर से जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

विस्तृत जानकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल www.jdajabalpur.org एवं www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन फॉर्म रु. 1000/- एवं जीएसटी रु. 18 प्रतिशत ऑनलाईन भुगतान कर सर्वाधिक की जा सकती है। बोली/ऑफर प्रस्तुतकर्ताओं को 10,000/- रु. अमानत राशि पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार जमा करना होगी, तथा पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी।

अन्य नियम एवं शर्तें:- (1) ऑफर स्वीकृति की सूचना दिये जाने के एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत दूर अनुसार 03 माह की अग्रिम लायसेंस फीस अनिवार्यतः देय होगी। (2) निर्धारित समय में अग्रिम लायसेंस फीस जमा न किये जाने पर अमानत की राशि रावसात कर ली जावेगी। (3) मासिक लायसेंस फीस की राशि स्वप्रेरणा से बिना प्राधिकरण कार्यालय की लिखित सूचना के प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम जमा करनी अनिवार्य होगी। मासिक लायसेंस फीस नियत तिथि के बाद विलंब से जमा करने की स्थिति में नियमानुसार 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्डक व्याज पृथक से देय होगा। (4) संपत्ति लायसेंस फीस पर लेने के पूर्व स्थल निरीक्षण करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा। (5) आवेदन मान्य किये जाने/निरस्त किये जाने/विज्ञापन संपत्ति को स्थगन किये जाने/विवाद के निराकरण में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। (6) उपरोक्त शर्तों के साथ व्ययन नियम 2018 एवं समय समय पर जारी शासनादेश तथा आवेदन पत्र में दी गई शर्तें आवेदक को मान्य होंगी। (7) मासिक लायसेंस फीस एवं व्याज राशि पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी अतिरिक्त देय होगी। (8) ऑफर आवेदन फॉर्म की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन प्रस्तुत करें।

संपदाधिकारी

जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर